C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
17 FEB 2016
R. No. ....

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
CIN: U40109MP2001SGC014880
रजिस्टर्ड आफिस : ब्लाक नं.2 शक्ति भवन रामपुर,जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041
फैक्सः (0761) 2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in, website:mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/II/611 दिनांक 16 FEB 2016

आदेश

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम–1977 में किये गये संशोधन के तहत नियम 38–ख के पश्चात् नियम 38–ग ''संतान पालन अवकाश'' जोडे जाने संबंधी म.प्र. शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–1/2015/नियम/चार दिनांक 22.08.2015 को कंपनी में कार्यरत महिला कार्मिको हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रावधानों सहित ग्राहय किया जाता है:–

(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहतें हुए, महिला शासकीय सेवक को; सक्षम प्राधिकारी द्वारा; उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का ''संतान देखभाल अवकाश'' स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, संतान से अभिप्रेत है,–

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); **या**

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16–18/97–एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान ।

(4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थातः–

(क) यह एक कैलेंडर वर्ष मे तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब बारी की गणना ऐसे निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमे कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदित अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि;

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में; यदि परिवीक्षा कालावाधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी. जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है ।

(5) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को, अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।

S.E. - I	S.E. - II	S.E. - III
E.E. (TK-I)	E.E. (S/s-I)	E.E. (TR-I)
E.E. (TK-II)	E.E. (S/s-II)	E.E. (TR-II)

(6) संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा ।

(7) इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जायेगी ।''

उक्त नियम आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगे।

आदेशानुसार

(एस.एन.गोयल)
मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/II/612 दिनांक 16 FEB 2016

प्रतिलिपि–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशा.)/मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशा.), म.प्र.पा.मैने.कं.लि./म.प्र.पा.जन.कं.लि./म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल / इंदौर।
3. कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(अ.उ.दा–संधा.एवं निरी.)/(मानव संसाधन विकास)/(वित्त), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. मुख्य अभियंता(अति उच्च दाब–निर्माण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द) / (प्रोक्योरमेंट) / (परीक्षण एंव संचार) / (योजना एवं रूपांकन) / (सिविल–ट्रांसमिशन), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
5. अति.निदेशक(वित्त एवं लेखा)–दो/अति.मुख्य अभियंता(ट्रांस–स्टोर),म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि., जबलपुर।
6. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(400 केव्ही उपकेन्द्र) वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ...
8. कार्यपालन अभियंता (अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(परीक्षण),संभाग–एक/दो/(संचार)/(ट्रांस.–भण्डार)/400–के.व्ही.–(परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केन्द्र), संभाग–एक/दो म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ...
9. उप निदेशक (भविष्य निधि)/(पेंशन)/(लेखा)वित्त, म.प्र. पावर ट्रांस.कं.लिमि, जबलपुर।
10. स्टाफ आफीसर संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
11. निज सचिव, संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र. पावर ट्रांस. कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
12. कंपनी सचिव, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
13. कल्याण अधिकारी कार्या.मुख्य अभि.(कार्पो.अफे.), म.प्र. पावर ट्रांस.कंपनी लिमि.,जबलपुर।
14. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
15. वेब मास्टर, कार्या–मुख्य अभियंता(~~योजना एवं रूपांकन~~ Procurement), म.प्र.पा.ट्रांस.कं.लिमि, जबलपुर।
16. कार्यपालन अभियंता–I/II/III/IV कार्या.मुख्य अभि.(कार्पो.अफे.),म.प्र.पा.ट्रां.कं.लिमि, जबलपुर।
17. आदेश नस्ती।

(के.के. श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियंता
कार्या.–मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स),
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर